पत्रांक–भवन/बजट–46–विविध(श्रम संसाधन विभाग)–04/2016–17. 10230 (भ)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 30/10/26

विषय– युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु **वित्तीय वर्ष 2026–27** कुल ` 1,30,47,838/- (एक करोड़ तीस लाख सैंतालीस हजार आठ सौ अड़तीस रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल,औरंगाबाद द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ` 1,30,47,838/- (एक करोड़ तीस लाख सैंतालीस हजार आठ सौ अड़तीस रुपये) मात्र का व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2026–27** में प्रदान की जाती है :–

क	भवन प्रमंडल का नाम	योजना/कार्य का नाम	अधियाचना आई०डी०संख्या	प्रशासनिक स्वीकृत्या देश संख्या/दिनांक	विपत्र कोडवार प्रस्तावित राशि			वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में आवंटन हेतु कुल स्वीकृत राशि (6+7+8)
					03–4059600510112	03–4059607890106	03–4059607960103	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भवन प्रमंडल, औरंगाबाद	बालक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,औरा, औरंगाबाद का निर्माण कार्य	34739	1048/18.05.18	1,09,15,648	14,55,420	6,76,770	1,30,47,838/-
				कुल राशि	1,09,15,648	14,55,420	6,76,770	1,30,47,838/-

(एक करोड़ तीस लाख सैंतालीस हजार आठ सौ अड़तीस रुपये)

2. उक्त राशि का विकलन वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से होगा।
3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल औरंगाबाद होंगे।
4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, औरंगाबाद से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह) 28/10/26
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– 10230 (भ) पटना, दिनांक– 30/10/26

प्रतिलिपि–सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद /कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव। 28/10/26